



निकलने की तारीख
अदालत को इस
हुकम को लाने
जाती है

कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक व उचित नहीं होगा। अधिवक्ता अपीलांत रेस्पोंडेन्ट की तलबी हेतु पंजीकृत डाक से सम्मन-तलबाना पेश करें। पत्रावली दिनांक 28.01.2026 को पेश हों।



राजस्थान अपील प्राधिकारी
भारत

28/01/26

राजस्थान
अपीलांत

20

अधिवक्ता उभयपक्षा उप.। अधिवक्ता अपीलांत ने प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट। प्रार्थी ने तदधीनगत सौजत की पत्रावली सं. 11/2025 अमानत हरकचंद पनाम सर्व-साक्षरण अन्तर्गत धारा 135(2) L.R.ACT. के निर्णय के विरुद्ध संभागीय आयुक्त में अपील पेश कर दी इसलिए उक्त अपील नोट प्रेस से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलांत के निवेदन पर उक्त अपील जरिफ नोट प्रेस खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर फैसला शुमार होकर बाद तस्वीर संख्या से एक कम होकर दफ्तर हो।


राजस्थान अपील प्राधिकारी
भारत